

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 31/7/08

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./06/2008 | 971

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम
	1	2	3
1	श्री पंकज कुमार शर्मा सहायक अध्यापक विकलांग शास.उमादि.शादीरा जिला अशोक नगर	जनपद पंचायत अशोक नगर जिला अशोक नगर जा.क्र. 295 दिं. 3.7.08	जनपद पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र. 2213 दिं.2.7.08 शास.प्रा.वि. हटीपुर शा.प्रा.वि. कारगढ़
2	कुमारी संध्या शर्मा सहायक अध्यापक शास.प्रा.वि.खारदा जिला देवास	जनपद पंचायत खातेगांव जिला देवास जा.क्र. 930 दिं. 9.6.08	जनपद पंचायत पड़नाह जिला खरगोन जा.क्र. 2167 दिं. 11.6.08 शास.प्रा.वि. सुलगाँव
3	श्रीमती सुषमा राठी अध्यापक शास.कन्या उमादि.तराना जिला उज्जैन	नगर पंचायत तराना जिला उज्जैन जा.क्र. 299 दिं. 19.5.08	नगर पालिक निगम इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र. 401/जीए दिं. 18.6.08 शास.अहिल्याश्रम कउमादि.क्र.2
4	श्रीमती ऋतु धनी सूर्यवंशी सहायक अध्यापक शास.प्रा.वि.जामदा भिलान जिला रतलाम	जनपद पंचायत सैलाना जिला रतलाम जा.क्र. 1922 दिं. 24.5.08	जनपद पंचायत बडनगर जिला उज्जैन जा.क्र. 1322 दिं. 9.6.08 शास.कन्या प्रा.वि. इंगोरिया
5	श्रीमती विनीता भदकारिया सहायक अध्यापक शास.प्रा.वि.शाला भेरा जिला छतरपुर	जनपद पंचायत राजनगर जिला छतरपुर जा.क्र. 511 दिं. 27.6.2008	जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र. 659 दिं. 25.6.08 शास. प्रा.शाला गुलियापुरा शास.प्रा.क.विद्यासपासंय
6	श्रीमती शीला खाडे सहायक अध्यापक शास.क.प्रा.शाला आष्टा जिला बैतूल	जनपद पंचायत प्रभातपट्टन जिला बैतूल जा.क्र. 1203 दिं. 13.6.08	जनपद पंचायत फन्दा भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. 4083 दिं. 10.7.08 शास. प्रा.शाला बिलखिरिया
7	श्रीमती चन्द्रा पटेल सहायक अध्यापक शास. प्रा.वा.शाला पगरा जिला पन्ना	जनपद पंचायत गुनौर जिला पन्ना जा.क्र. 731 दिं. 7.7.08	जनपद पंचायत हटा जिला दमोह जा.क्र. 718-1 दिं. 8.7.08 शास.माध्य.शाला बिनती शास.प्रा.वा.शाला घुटरिया शास. माध्य.शाला हरदुआसडक
8	श्रीमती सविता रानी दुबे सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि.मगरीला सेंवडा जिला दतिया	जनपद पंचायत सेंवडा जिला दतिया जा.क्र.954 दिं. 7.6.08	जनपद पंचायत मुरार जिला खालियर जा.क्र. 1798 दिं. 4.7.08 शास.प्रा.वि. सेंथरी

nine-np

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता हाने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती निगमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./०६/२००८ / १७२

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक- 31/7/08


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./001/2008

973

भोपाल, दिनांक- 31/7/08

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम
	1	2	3
1	श्रीमती रेखा तोमर सहायक अध्यापक शास.प्रा.वि.चौम्हों अटेर जिला भिण्ड	जनपद पंचायत अटेर जिला भिण्ड जा.क्र. 1116 दिं. 5.6.08	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र. 1814 दिं. 26.6.08 शास.प्रा.शाला पिन्टोपार्क शास.प्रा.शाला मुरार
2	श्रीमती सपना म्नासुरकर अध्यापक शास.उमावि.टिकरी जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र.6806 दिं.11.6.08	जिला पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र. 4066 दिं. 27.6.08 शास.नवीन हाईस्कूल गरा शास.उमावि.बिरसोला
3	श्रीमती छाया पाठक सहायक अध्यापक शास.प्रा.वि. मालाखेडा जिला रतलाम	जनपद पंचायत आलोट जिला रतलाम जा.क्र. 643 दिं. 2.6.08	नगर पालिका परिषद जिला सीहोर जा.क्र. 1247 दिं. 6.6.08 शास.प्रा.क.शाला गंज आष्टा शास.प्रा.शाला बुधवारा आष्टा
4	श्रीमती नूतन श्रोत्रिय अध्यापक शास.म.ल.बा.उमावि.क.रतलाम जिला रतलाम	नगर पालिक निगम रतलाम जिला रतलाम जा.क्र.604 दिं. 31.5.08	नगर पालिक निगम इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र. 459/जीए दिं. 28.6.08 शास. सुभाष उमावि. इन्दौर
5	श्रीमती प्रभा मालवीय सहायक अध्यापक शास.मा.शाला बछवाडा जिला होशंगाबाद	जनपद पंचायत बाबई जिला होशंगाबाद जा.क्र. 1329 दिं. 2.7.08	जनपद पंचायत फन्दा भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. 3093 दिं. 1.7.08 शास.प्रा.शाला अरवालिया


संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।



5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित



31/7/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक-31/7/08

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./001/2008
प्रतिलिपि:-

974

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।


31/7/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./०१०/२००८ १७५

भोपाल, दिनांक-३१/७/०८

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन क्री अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम
	१	२	३
१	श्री दिनेश कुमार सन सहायक अध्यापक विकलांग शास.प्रा.वि. ताजखेड़ी जिला मंदसौर	जनपद पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र. १५९९ दि. २३.०६.०८	जनपद पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र. २२०७ दि. ०७.०७.०८ शास.प्रा.वि. कोटड़ी इस्तपुरा
२	श्रीमती राजाबेटी राठौर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. छत्तर का पुरा जिला मुरैना	जनपद पंचायत पोरसा जिला मुरैना जा.क्र. ३६७ दि. ०५.०७.०८	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र. १८९१ दि. १४.०७.०८ शा.प्रा.वि. सौसा
३	श्रीमती सरिता मोधक सहायक अध्यापक शा.प्रा.शाला जमतारा (गौर) जिला जबलपुर	जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. १७७४ दि. २३.०६.०८	जनपद पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र. १७४७ दि. ०१.०७.०८ शा.प्रा. शाला नैतरा शा.मा.शाला लिंगा
४	श्रीमती आभा गोस्वामी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शाला घटारी जिला पन्ना	जनपद पंचायत गुनौर जिला पन्ना जा.क्र. ७३४ दि. १४.०७.०८	जनपद पंचायत टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ जा.क्र. १६६४ दि. ०९.०७.०८ शा.प्रा.शाला आलमपुरा
५	श्रीमती साधना गुप्ता सहायक अध्यापक शा.प्रा.शाला रामगढ़ जिला छतरपुर	जनपद पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर जा.क्र. ११५६ दि. ३०.०६.०८	नगर पंचायत पलेरा जिला टीकमगढ़ जा.क्र. २३९ दि. ३०.०६.०८ शा.प्रा.शा. कन्या पलेरा शा.प्रा.शा. बालक पलेरा शा.प्रा.शाला गंजपलेरा
६	श्रीमती परवीन बी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. भोमलवास जिला उज्जैन	जनपद पंचायत बहुनगर जिला उज्जैन जा.क्र. १६२१ दि. १४.०७.०८	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. १६४८ दि. १६.०७.०८ शास.मा.वि. फिल्टर स्टेशन
७	श्री पदम सिंह सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. खजरा खनियाघाना जिला शिवपुरी	जनपद पंचायत खनियाघाना जिला शिवपुरी जा.क्र. २३ दि. १२.०६.०८	जनपद पंचायत विजयपुर जिला शयोपुर जा.क्र. ११ दि. १९.०६.०८ शा.क. प्रा.वि. टर्काकलां
	श्री मित्ताराम डोंगर सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. टर्काकलां जिला शयोपुर	जनपद पंचायत विजयपुर जिला शयोपुर जा.क्र. ११ दि. १९.०६.०८	जनपद पंचायत खनियाघाना जिला शिवपुरी जा.क्र. २३ दि. १२.०६.०८ शा.प्रा.वि. खजरा खनियाघाना

परस्पर

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान (के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित


उप संचालक 31/7/08
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक- 31/7/08

पृष्ठा क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./010/2008
प्रतिलिपि:-

976

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक 31/7/08
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश